न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 124/2024 निर्णय दिनांक 08.11.2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/260

नवरतन शर्मा पुत्र रेखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं कि प्रार्थी ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं । प्रार्थी के पिता रेखाराम पुत्र भोमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 102 तादादी 58 बीघा 5 बिस्वां रोही ग्राम पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़, व खेत खसरा नम्बर 116 तादादी 11 बीघा 11 बिस्वां, खसरा नम्बर 17 तादादी 5.3200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 117 तादादी 18 बीघा 16 बिस्वां रोही ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित रहे है। प्रार्थी के पिता रेखाराम जी कि मृत्युपरान्त वादगत खेतों की विरास्तन खातेदारी वादी व रेखाराम जी के अन्य वारिसानों के नाम दर्ज हुई है। वादगत खेत खसरा नम्बर 102 के वर्तमान खसरा नम्बर 123 तादादी 14.7800 हैक्टेयर रोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़, व खेत खसरा नम्बर 116 के वर्तमान खसरा नम्बर 124 तादादी 2.9200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 17 के वर्तमान खसरा नम्बर 18 तादादी 9.3200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 117 के वर्तमान खसरा नम्बर 125 तादादी 4.7600 हैक्टेयर रोही ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर कायम हुए है। इस प्रकार वादगत खेत प्रार्थी के पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत है। प्रार्थी के पिता रेखाराम जी कि मृत्युपरान्त वादगत खेतों का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया तब खेत खसरा नम्बर 123 रोही ग्राम पुन्दलसर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नोरतनमल पुत्र रेखाराम दर्ज कर दिया गया एवं खेत खसरा नम्बर 124, 18, 125 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नोरतमल पुत्र रेखाराम अंकित कर दिया गया जो कि गलत दर्ज अंकित हैं, प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम नवरतन शर्मा पुत्र रेखाराम हैं जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अद्धसरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्ध दर्ज नही होने से प्रार्थी को कृषि कार्य व कृषि से संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना नाम नोरतन शर्मा पुत्र रेखाराम अंकित करवाना चाहता हैं। प्रार्थी वादगत खेत का काबिज काश्त खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:30:22 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतू अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों के खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है। प्रार्थी ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं एवं वादगत खेत ग्राम पुनरासर व ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 123 तादादी 14.78 हैक्टेयर रोही ग्राम पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम नोरतनमल पुत्र रेखाराम की जगह व खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 2.9200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 9.3200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 125 तादादी 4.7600 हैक्टेयर रोही ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम नोरतमल पुत्र रेखाराम, को शुद्ध करके नवरतन शर्मा पुत्र रेखाराम दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें । अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 123 तादादी 14.78 हैक्टेयर रोही ग्राम पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम नोरतनमल पुत्र रेखाराम की जगह व खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 2.9200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 9.3200 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 125 तादादी 4.7600 हैक्टेयर रोही ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम नोरतमल पुत्र रेखाराम को शुद्ध किया जाकर नवरतन शर्मा पुत्र रेखाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:30:22 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

(उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) seal)